कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक/1440 /138/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल दिनांक 21/9/2022

प्रति,

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी
संबंधित शासकीय अग्रणी न महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम-8 अनुसार) ।

2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 02 के अनुसार) ।

विषयः- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 62 से 65 वर्ष की अवधि में किये कार्य की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 ।

संदर्भः- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-23/2019/38-3 दिनांक 26.02.20।

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में अनुदान प्राप्त निम्न अशासकीय महाविद्यालय से अर्धवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष की सेवा अवधि में कार्य करने वाले शिक्षको की शिक्षाधिकारी से सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एवं मांग पत्र के आधार पर संबंधित महाविद्यालय एवं शिक्षक के समक्ष कॉलम-8 अनुसार राशि स्वीकृत करते हुये बजट आवंटन किया जाता है :-

सक्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	या.क्र.	62 से 65 वर्ष की कार्य अवधि	वेतन भत्तो की कुल राशि	पेंशन से प्राप्त राशि	भुगतान की जाने वाली राशि	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनता महाविद्यालय रीवा 536/30.07.22 डॉ.आर. एन. शर्मा, सेनि सहा.प्राध्या	5364/12 1114/17	01.07.12 से 30.06.15	4998028	987505	4010523	प्राचार्य शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा
योग						4010523	

2. अतः उक्त स्थिति में प्रस्तुत जानकारी व अभिलेखों तथा प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय से सत्यापित गणना पत्रक के आधार पर उक्त उल्लेखित प्रकरण में कॉलक-6 अनुसार वांछित राशि के अनुक्रम में कॉलम-7 में अंकित आवंटित/स्वीकृत राशि **रूपये 40,10,523 (रूपये चालीस लाख दस हजार पांच सौ तेईस मात्र)** का आहरण महाविद्यालय के समक्ष कॉलम-8 में अंकित डीडीओ कोड में बजट शीर्ष 044-2202-03-104-0101-3444-42-002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 सें विकलनीय होगा । तदानुसार राशि संबंधित डीडीओ कोड में अपलोड की गई है।

3. उक्त आवंटित राशि से भुगतान करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों से वचन पत्र प्राप्त किया जावे कि "यदि वेतन भत्तों में अधिक भुगतान होने की स्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि याचिकाकर्ता से वसूल योग्य होगी और संबंधित अधिकारी उस राशि जमा करने के लिये बाध्य होगा।"

4. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा।

5. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

श्नरंतर....2

Scanned with CamScanner

6. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश है। पूर्व वर्षो में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।

7. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

8. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी वित्त संहिता के नियम 175-176 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये राशि का आहरण एवं भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

9. उक्त आवंटन राशि से संबंधित अधिकारी को देय राशि का मिलान यदि पूर्व में इस अवधि के लिये कोई राशि भुगतान की गई हो तो उस राशि का एवं उनको प्राप्त पेंशन राशि का संबंधित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर उससे मिलान करने और समायोजन के पश्चात ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

10. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति (कोविड-19 विशेष अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति को छोड़कर) प्राप्त कर्मचारी को वेतन भत्तो का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।

11. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था एवं अग्रणी महाविद्यालय की संयुक्त रूप से होगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डी. एस. हाड़ा)
संयुक्त संचालक-वित्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 1441 /138/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल दिनांक 21/9/2022

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त् संचालक, उच्च, शिक्षा, रीवा संभाग, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ. (न्या.शा.), कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

21/9/22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner